न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 152/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 20.6.2008
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 छीतर आत्मज स्व0 गोपाल जाति नायक निवासी ग्राम मोलकी तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)।

...अपीलांट

बनाम

1 अजीत सिंह
2 रणजीत सिंह
पिसरान भारत सिंह जाति चारण निवासीगण मोलकी तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)।
3 तेजसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामानः–
3/1–प्रमेन्द्र सिंह
3/2– नरपत सिंह
पिसरान तेजसिंह जाति चारण निवासी ग्राम मोलकी तहसील अन्ता जिला बांरा।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता जिला बांरा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री गोविन्द नामदेव अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 20.2.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 128/99 प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान अजीतसिंह बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 17.2.1999 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अजीतसिंह आदि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम मोलकी तह0 अन्ता मे ख0 नं0 108 रकबा 8 बिस्वा उसके पिता भारतसिंह के खाते मे दर्ज आराजी को वक्त बदोबस्त, बन्दोबस्त के दौरान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही किया अतः रकबा तथा नक्शा ट्रेस कायम कर उसको राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.2.99 को छीतर पुत्र गोपाल, रामनाथ पुत्र घांसीलाल नायक के खाते की आराजी ख0 नं0 228/365 की 0.10 है0 मे 0.04 है0 भूमि अजीतसिंह, रणजीतसिंह, तेजसिंह पुत्र भरतसिंह निवासी मौलकी के खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर मौके की स्थिति पूर्व सेटलमेंट के अनुसार रखी जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी छीतर आ0 स्व0 गोपाल ने प्रकरण मे व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाज़त के साथ प्रथम अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बगेर उसकी खातेदारी की भूमि मे से 0.04 है0 भूमि को अजीतसिंह आदि के नाम दर्ज करने मे त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट के खाते की भूमि से रेस्पो0 का कोई संबध नही है तथा ना ही अपीलांट की भूमि मे रेस्पो0 की भूमि का रकबा सम्मिलित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का

निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 17.2.99 निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस बताया कि अधीनस्थ न्याया0 मे अजीत सिंह ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल सरकार को ही पक्षकार बनाते हुये ख0 नं0 108 की रकबा 0.08 मे सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा कम दर्ज कर ख0 नं0 228/365 रकबा 0.07 है0 को 0.10 है0 दर्ज कर दिया इसलिये अधिक दर्ज रकबा उसके खाते दर्ज करने का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बगेर अपीलांट के खाते मे से भूमि कम कर रेस्पो0 के खाते मे दर्ज करने का दिनांक 17.2.99 को जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अधी0 न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड, नक्शे का मिलान नही किया ना ही रकबा बरारी की तथा ना ही प्रकरण मे शपथ पत्र, बयान आदि लिये। इनकी भूमि सडक मे गयी है। धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। अपी0 द्वारा चाहा गया अनुतोष केवल रेगूलर वाद के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। रेस्पो0 ने सिविल कोर्ट मे अपीलांट द्वारा दि0 2.6.2016 को पेश वाद इत्यिादि की प्रतिलिपी पेश की है उक्त वाद के दस्तावेज व विषयवस्तु अलग है तथा उक्त वाद मे रेस्पो0 पक्षकार नही है उक्त वाद मे विवादित जमीन की कमी बेशी रकबे व राजस्व रिकार्ड का निर्धारण नही होना है। अतः रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज विचाराधीन अपील से अंसबधित दस्तावेज है जिससे अपीलांट को कोई सहायता प्रदान नही की जा सकती। बहस मे बताया कि जेरअपील आदेश अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगेर पारित किया है ऐसी स्थिति मे लिमिटेशन लागू नही होती है तथा जानकारी तिथी से अपील पेश कर डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 व प्रभावित पक्षकार होने से प्रा0 पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश किया है जिसका रेस्पो0 द्वारा जवाब/खण्डन नही किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे प्रकट किया कि प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे वर्णित तथ्यो की सम्पूर्ण जांकर सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को अधीनस्थ न्यायालय ने दुरूस्त किया है क्योंकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकार्ड को बदलने का कोई अधिकार नही है जबकि मौके पर पूर्ववत रेस्पो0 काबिज काश्त है। बहस मे आगे बताया कि 17.2.99 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय की अपीलांट द्वारा 24.10.2016 को अपील पेश की है जो मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही मियाद के बिन्दू पर खारिज योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी की तिथी 25.9.2016 मिथ्या अंकित की है। अपीलांट द्वारा सिविल कोर्ट मे दिनांक 2'6'2016 को दावा पेश किया जिसमे मुझे पक्षकार नही बनाया उस दावे मे 0.06 है0 भूमि स्थित होना मान रहे है तथा अपील मे उठाये गये तथ्यो का लेशमात्र भी अंकन नही है। सेटलमेंट से पूर्व जितनी भूमि अपीलांट के खाते मे थी उतनी ही जमीन सेटलमेंट के बाद वर्तमान मे अपीलांट के कब्जे खाते मे है केवल मात्र रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की गई है। इस संबध मे रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये है जो निर्णय मे सहायक होने से रिकार्ड पर लिये जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योंपात अवलोकन कर प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेज/राजस्व रिकार्ड तथा जेरअपील निर्णय का अवलोकन किया। अपील का गुणावगुण पर अवलोकन करने से पूर्व अपील पेश करने की इजाजत बावत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी तथा डिले कन्डोन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। दस्तावेजात एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अजीतसिंह आदि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.2.99 से छीतर पुत्र गोपाल, रामनाथ पुत्र घांसीलाल नायक के खाते की आराजी ख0 नं0 228/365 की 0.10 है0 मे 0.04 है0 भूमि अजीतसिंह , रणजीतसिंह, तेजसिंह पुत्र भरतसिंह निवासी मौलकी के खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर मौके की स्थिति पूर्व सेटलमेंट के अनुसार रखी जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण मे अपीलांट पक्षकार नही रहा है ना ही अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया

गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलांट व्यथित/प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है अतः न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी ने जेरअपील निर्णय दिनांक 17.2.99 के विरूद्ध दिनांक 24.10.2016 को न्यायालय हाजा मे अपीलाधीन आदेश की जानकारी 25.9.2016 को होना वर्णित कर डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 ने शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भावित होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खाते की आराजी ख0 नं0 228/365 की 0.10 है0 मे से 0.04 है0 भूमि अजीतसिंह, रणजीतसिंह, तेजसिंह पुत्र भरतसिंह निवासी मौलकी के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किया है। उक्त आदेश अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना व सुनवाई तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगेर पारित किया जाना प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश/निर्णय दिनांक 17.2.99 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय/आदेश दिनांक 17.2.99 अपास्त किया जाकर प्रकरण मे अपीलांट/पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित/रिमांड किये जाने योग्य है।

6 उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 128/99 प्रा0 पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान अजीतसिंह बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 17.2.1999 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है कि अपीलांट/पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय करें।

7 निर्णय आज दिनांक 20.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा